

>

Title: Introduction of the Constitution (Amendment) Bill, 2011(Amendment of the Article 72).

**डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम):** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

*The motion was adopted.*

**डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :** महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

---

-

-